Tel: 05644 -260495, 260379 (O)
Fax: 05644- 260565
Website : http://drmr.res.in
Email director.drmr@gmail.com

भाकृअनुप - सरसों अनुसंधान निदेशालय

सेवर, भरतपुर –321 303 (राजस्थान)

ICAR-Directorate of Rapeseed-Mustard Research

Sewar, Bharatpur – 321 303 (Rajasthan)

(Indian Council of Agricultural Research)

भाकृअनुप
ICAR

क्रमांकः 4–119 / एसपी / सुरक्षा / 19 /

दिनांकः 13–11–2019

E-tender Notice No. 15

TENDER OPENING CLOSING AND OTHER RELATED DATES TO BE AS PER THE DATES OF THE E-PROCUREMENT WEBSITE

निविदा की अवधि : निविदा 90 दिन तक वैध रहनी चाहिए ।

कार्य का विवरण	दर प्रतिमाह (जिसमें सुरक्षा गार्डो को "न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948" के अन्तर्गत निर्धारित दरों अनुसार दिये जाने वाली मजदूरी, पी.एफ, ई.एस.आई अशंदान, व्यवसाय कर, आयकर, आयकर पर सरचार्ज तथा और कोई अन्य सांविधिक प्रावधान तथा सुरक्षा एजेन्सी द्वारा पूरी की जाने वाली अन्य तमाम जिम्मेदारियॉ सम्मिलित हो)
सरसों अनुसंधान निदेशालय के लगभग 40 हेक्टेअर प्रक्षेत्र के क्षेत्रफल में स्थित उपलब्ध समस्त सरकारी सम्पत्ति के सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सहित भली–भातिं सुरक्षा प्रदान करते हुए इन्हें सम्भावित नुकसानों से हर सम्भव तरीको से बचाने हेतु एक वर्ष की अवधि के लिये (राउन्ड दी क्लांक) "**वार्षिक अनुबन्ध आधार पर सुरक्षा अनुबन्ध**" संविदात्मक प्रतिमाह दर पर सम्पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करने हेतु ई–निविदाऐं आमंत्रित की जाती हैं। सुरक्षा एजेन्सी को निम्नलिखित डयूटी पॉइन्टों पर राअन्ड दी क्लॉक के हिसाव से सेवा सुरक्षा देनी होगी। **(1) निदेशालय के मुख्य द्वार पर, आवासीय परिसर** **(2) अतिथिगृह पर** **(3) मुख्य प्रशासनिक कम प्रयोगशाला भवन** **(4)फॉर्म कार्यालय पर** **(5)एक गनमैन (रात्रि के लिए)**	वित्तीय विड BOQ में भरकर अपलोड करें।

विषयः– सरसों अनुसंधान निदेशालय में दो बोली प्रणाली (प्रथम तकनीकी विड व दूसरी वित्तिय विड) में सुरक्षा सेवाऐं प्रदान करने के लिए फर्मो / ऐजेन्सियों से ई–निविदाऐं आंमत्रित की जाती हैं।

नोटः–

1. ठेकेदार के द्वारा सुरक्षा कार्यो के लिये प्रतिमाह के लिये मॉगी गई संविदात्मक प्रतिमाह दर के अतिरिक्त कोई भी अन्य भुगतान पी.एफ., ई.एस.आई. अशंदान, व्यवसाय कर, आयकर, आयकर पर सरचार्ज, जी0एस0टी0 तथा अन्य कोई कर का भुगतान निदेशालय द्वारा ठेकेदार को नही किया जावेगा बल्कि उपरोक्त सभी कर ठेकेदार के बिल से प्रतिमाह इस निदेशालय द्वारा वसूल किये जावेगें ।
2. ठेकेदार एंव ऐजेन्सियां जिनका प्रदत **सुरक्षा गार्डो की आपूर्ति हेतु वार्षिक टर्न ओवर न्यूनतम रू0 50.00 लाख प्रति वर्ष हो की, छाया प्रति आवश्यक रूप से अपलोड करें।**
3. **निविदाकर्ता दो बोली प्रणाली अर्थात तकनीकी बिड एवं वित्तिय बिड को अलग–अलग अपलोड करें।**
4. **भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ लेवर के द्वारा जो दरें समय–समय पर बदलती हैं वह बदली हुई दरें ठेकेदार को मान्य होंगीं।**

Scanned by CamScanner

नियम व शर्तें :–

1. सुरक्षा एजेन्सी राज्य–केन्द्र सरकार की सक्षम एजेन्सी, श्रम विभाग, रजिस्ट्रार सहकारी समिति, सैनिक कल्याण बोर्ड से सुरक्षा कार्य करने हेतु पंजीकृत होनी चाहिऐ । जिन्हें कम से कम **तीन वर्षों** का सरकारी/अर्धसरकारी संस्थानों/विभागों में कार्य करने का अनुभव हो ।
2. सुरक्षा एजेन्सी फर्मो को पूर्व में राज्य–केन्द्र सरकार के कार्यालयों/संस्थानों मे किये गये **पिछले 3 वर्ष की अनुबन्धों की स्कैन प्रति** लगाना आवश्यक है ।
3. सुरक्षा एजेन्सी फर्म निदेशालय के लगभग 40 हेक्टेअर प्रक्षेत्र में स्थित फार्म एवं निविदा प्रपत्र में बताये गये कार्यो के विवरणों के अनुसार सुरक्षा व देखभाल का कार्य करेगी एवं जरूरत पडने पर सक्षम अधिकारी द्वारा समय–समय पर दिये गये अनुदेशों के अनुसार भी कार्य करेगी ।
4. निविदा में दिये गये कार्यो का विवरण मात्र गाईडलाईन्स है । सक्षम अधिकारी द्वारा इनमें परिवर्तन भी किया जा सकता है, जिसे सुरक्षा एजेन्सी को मान्य करना होगा ।
5. सुरक्षा ऐजेन्सीं को भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ लेवर के नियमानुसार सुरक्षा सेवा प्रदान करनी होगी, जिसमें पी.एफ., ई.एस.आई. अशंदान, बीमा, सर्विस चार्ज, जीएसटी तथा और कोई अन्य सवैधानिक प्रावधान होगें वे भी सम्मिलित होगे तथा सुरक्षा एजेन्सी द्वारा पूरी की जाने वाली सभी जिम्मेदारियॉ सम्मिलित होगी निदेशालय द्वारा सुरक्षा एजेन्सी को प्रतिमाह की दर पर किये जाने वाले भुगतान के अलावा कोई अन्य अंशदान/कर का भुगतान निदेशालय से नहीं किया जावेगा ।
6. सुरक्षा एजेन्सी को सक्षम अधिकारी द्वारा श्रमिक विनियमन एवं उन्मूलन अधिनियम 1970 की धारा 12(1) के अन्तर्गत लगाये जाने वाले सभी सुरक्षा गार्डो के लिये आवश्यक अनुज्ञा पत्र प्रस्तुत करना होगा । सुरक्षा एजेन्सी द्वारा किसी भी कार्य दिवस में अनुज्ञा पत्र में निहित संख्या से अधिक संख्या में सुरक्षा गार्ड उपलब्ध नही करवायेगा ।
7. निविदा के साथ निविदाकर्ता सुरक्षा एजेन्सी को वर्ष 2016–17 व 2017–18 या अतिंम दो **वर्षों** का आयकर किलीयरेन्स प्रमाण–पत्र लगाना आवश्यक है।
8. उपरोक्त कार्य विवरण के अनुसार सुरक्षा एजेन्सी को सामान्यतया निम्नलिखित 4 डयूटी पॉइन्टों पर राअन्ड दी क्लॉक के हिसाव से सेवा सुरक्षा देनी होगी तथा निदेशालय की तमाम सम्पत्ति एवं आवासीय परिसर मे निवासरत कर्मचारियो/अधिकारियों की निजी सम्पत्ति की सुरक्षा करनी होगी :–

   (i) निदेशालय के मुख्य द्वार पर
   (ii) आवासीय परिसर/अतिथिगृह पर
   (iii) मुख्य प्रशासनिक कम प्रयोगशाला भवन पर
   (iv) फॉर्म कार्यालय पर

9. उपरोक्त चार पांइन्टो **(i–iv)** पर राउन्ड दी क्लांक के हिसाब से **तथा एक गनमैन (v.)(रात्रि पारी के लिए)** लगाने होगें। उपरोक्त के अलावा निदेशक या सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिया गया अन्य सुरक्षा संबंधी कार्य करना होगा।
10. सुरक्षा एजेन्सी अपने निजी स्टाफ/कर्मचारी की नियुक्ति भी सुरक्षा कार्य हेतु कर सकती है परन्तु इससे पहले इसकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी से लिखित रूप में लेनी होगी ।
11. सुरक्षा एजेन्सी को अपने सभी सुरक्षा कर्मियो को देय पारिश्रमिक भत्ते राज0 सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (केन्द्रीय 1948) के अनुसार जो भी अधिक होगा का भुगतान करना आवश्यक होगा ।

Scanned by CamScanner

12. सुरक्षा कर्मी फर्म को अच्छा चाल चलन रखने वाले, स्वस्थ परिश्रमी एवं अनुभवी व व्यस्क भूतपूर्व सैनिक सुरक्षा हेतु उपलब्ध कराने होगे जिनकी आयु लगभग 45 वर्ष की हो उनको वरीयता दी जायेगी। किसी भी परिस्थिति में अधिकतम आयु 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा नही पाया गया तो बिना कोई कारण बताये सम्बन्धित सुरक्षा कर्मी को निदेशालय के कार्य से हटाने का अधिकार निदेशालय के पास सुरक्षित रहेगा एंव इस तरह हटाये गये सरुक्षा कर्मी के एवज में अन्य सुरक्षा कर्मी सुरक्षा ऐजेन्सी द्वारा तत्काल उपलब्ध कराये जावेगें।

13. सरुक्षा एजेन्सी को सुरक्षा कर्मियों के लिये उचित वर्दी, पानी, आराम की जगह, शौचालय, कैन्टीन आदि जैसी सुविधाओं की व्यवस्था स्वंय करेगा । यदि इसमें से कोई सुविधा निदेशालय द्वारा दी जाती है तो उसका भुगतान ठेकेदार द्वारा इस निदेशालय को करना होगा अन्यथा देय राशि, यदि कोई हो तो ठेकेदार के बिल से सीधे काटे जाने का अधिकार निदेशालय के पास सुरक्षित रहेगा ।

14. सरुक्षा एजेन्सी फर्म को अनुबन्ध देने से पूर्व **5,00,000/– रूपये (रू0 पॉच लाख मात्र) या अनुबन्ध की लागत का 10 प्रतिशत जो भी अधिक होगा जमानत राशि** के रूप में जमा कराने होगें । जमानत राशि ठेके के संतोषजनक रूप से समाप्त होने के बाद वापस कर दी जायेगी ।

15. सुरक्षा एजेन्सी द्वारा अपने सभी सुरक्षा कर्मियो को वर्दियॉ, लाठी/डन्डा, बन्दूक, टोर्च, फॉर्म के गार्ड के लिए ड्रेगन लाइट तथा लेखन सामग्रि की वस्तुऐ जैसे कि रजिस्टर, पैमाने, पैड़, पैन्सिल, स्टेप्लर आदि प्रदान करने होगे ।

16. सुरक्षा ऐजेन्सी पिछले माह मे प्रदान की गई सेवाओं के लिये प्रत्येक माह के पूरा होने के बाद आगामी महीने के प्रथम सप्ताह मे अपना प्रिन्टेड बिजक, निदेशक स0अनु0 निदेशालय को प्रस्तुत करेगा तथा निदेशालय के प्रभारी सुरक्षा/ प्राधिकृत अधिकारी द्वारा संतोषजनक सेवाओ से संबधित पुष्टि की टिप्पणी/रसीद लेने के बाद बिजक का भुगतान 30 दिन की अवधी में किया जावेगा। यदि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा संतुष्टि की टिप्पणी नहीं की जाती है तब सक्षम अधिकारी के स्वविवेक से भुगतान मे से समुचित कटौती की जावेगी, जो सुरक्षा एजेन्सीं पर बाध्यकारी होगा ।

17. सुरक्षा एजेन्सी फर्म को प्रत्येक माह के बिजको द्वारा दी जाने वाली राशि मे से सेवा कर का भुगतान भी उन्हें ही करना होगा, अतः सुरक्षा अनुबंध देने से पूर्व फर्म को अपना पंजीकरण भी आयुक्त, सेवा कर के पास करना होगा एवंम सुरक्षा एजेन्सी फर्म के **प्रत्येक बिल से नियमानुसार आयकर, आयकर पर सरचार्ज, सर्विस टैक्स व जीएसटी आदि निर्धारित दरों अनुसार काटा जायेगा।** इसके लिये ठेकेदार को अपनी आयकर खाता संख्या सूचित करनी होगी । इसके अतिरिक्त यदि किसी तरह का **कोई अन्य टैक्स/कर राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर लगाया जाता है, तो वह भी ठेकेदार को अपने बिल से आवश्यक रूप से देनी होगी** । जीएसटी ठेकेदार द्वारा सबंधित विभाग मे जमा कराया जाएगा।

18. सरुक्षा एजेन्सी फर्म को सुरक्षा कर्मियों से सम्बन्धित रेगुलेशन एण्ड एबोलीशन एक्ट 1970 (केन्द्रीय) का पालन करना होगा एवं श्रमिक सम्बन्धी विवाद होने की स्थिति में उनके उचित निपटान हेतु ठेकेदार स्वंय जिम्मेदार होगा, तथा न्यायालय द्वारा यदि कोई मुआवजा तय किया जाता है, उस मुकदमें की पैरवी एवं माननीय न्यायालय द्वारा तय किये गये मुआवजे का भुगतान भी सम्बन्धित ठेकेदार को ही करना होगा ।

19. सुरक्षा एजेन्सी के द्वारा लगाये जाने वाले सभी सुरक्षा गार्ड /स्टाफ सदस्य , सुरक्षा एजेन्सी के कर्मचारी माने जावेगे तथा केवल सुरक्षा एजेन्सी ही कार्य पर लगाये गये समस्त कर्मचारीयो के पारिश्रमिक, वेतन और उनके लाभो तथा सेवा शर्तो के लिये जिम्मेदार होगी तथा सुरक्षा ऐजेन्सी के कर्मचारियों की किसी भी दावे के विरूद्व यह निदेशालय किसी भी क्षतिपूर्ति के लिये बाध्य नही होगा।

20. सुरक्षा ऐजेन्सी यह सुनिश्चित करेगी कि सुरक्षा एजेन्सी की सेवा संविदा की अवधि के दौरान निदेशालय मे कोई हानि या चोरी नही हो । सुरक्षा एजेन्सी के सुरक्षा स्टाफ/कर्मचारियों की लापरवाही के कारण, सुरक्षा एजेन्सी की

Scanned by CamScanner

सेवा संविदा अवधि के दौरान निदेशालय मे यदि चोरी होती है या हानि होती है तो सुरक्षा एजेन्सी ऐसी किसी भी हानि आदि के लिये जिम्मेदार ठहराई जाएगी, यदि उचित रूप से गठित जॉच (जिसमे निदेशालय के दो सदस्य और सुरक्षा ऐजेन्सी का एक सदस्य सम्मिलित होगें) में यह निष्कर्ष निकलता है कि हानि सुरक्षा एजेन्सी के सुरक्षा कर्मियों की लापरवाही के कारण हुई है तब उसकी क्षतिपूर्ति सुरक्षा एजेन्सी को करनी होगी।

21. सुरक्षा एजेन्सी **6.00 बजे प्रातः से 2.00 बजे** अपराह, **2.00 बजे अपराह से 10.00** बजे रात्रि, **10.00 बजे रात्रि से प्रातः 6.00 बजे** तक 24 घंटे की तीन पारियो मे पूर्व के पैराग्राफ मे उल्लेखित दरों पर सुरक्षा कर्मियों की सेवाए प्रदान करेगी । **सुरक्षा एजेन्सी का सुरक्षा पर्यवेक्षक भी उपरोक्त समय तक की पारियों मे निरंतर सुरक्षा कार्य के पर्यवेक्षण कार्य के लिये उपस्थित रहेगें ।**

22. **सुरक्षा एजेन्सी फर्म को सभी वेतन संबंधी तथा अन्य सेवा शर्तो एवं सभी श्रमिक विनिमय उन्मूलन अधिनियम 1970, वर्कमेन कम्पनशेसन एक्ट, ई.पी.एफ, तथा एम.पी.एफ., औधोगिक विवाद एवं अधिनियम आदि कानूनी बंधनों का पालन आवश्यक रूप से करना होगा ।**

23. सुरक्षा एजेन्सी फर्म को उनके द्वारा नियुक्त सभी सुरक्षा कर्मियों का सामान्य कानूनों के तहत वर्कमेन कम्पनशेसन एक्ट के तहत बीमा करवायेगी, ताकि उसके अधीनस्थ कार्यरत ठेका श्रमिकों (कर्मचारियां) को किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर उन्हें क्षतिपूर्ति का लाभ भी मिल सके ।

24. किसी भी प्रकार के व्यवधान को आपसी सहमति से सुलझाया जावेगा, फिर भी अगर कोई मतभेद रहता है, या उपरोक्त शर्तो में संदेह होने पर आर्बिटशेन एवं कन्सीलेशन अधिनियम 1996 के अर्न्तगत निदेशालय द्वारा मनोनीत मध्यस्थ के निर्णय को अन्तिम माना जावेगा एवं यह निर्णय ठेकेदार को मान्य होगा ।

25. सुरक्षा एजेन्सी फर्म को अनुबन्ध करने से **पूर्व अनुबन्ध की सभी नियम एवं शर्तो को राज0 में प्रचलित दर के अनुसार उपयुक्त मुल्य के नोन–ज्यूडीशियल स्टेम्प पेपर पर टाईप करवाकर हस्ताक्षर करते हुए एवं साक्षी के भी हस्ताक्षर करवाते हुऐ इस निदेशालय को शीघ्र प्रस्तुत करना होगा ।**

26. अनुबन्ध की अवधि एक वर्ष की होगी । जिसे आपसी सहमति के आधार पर घटाया या बढाया जा सकता है। अगर सुरक्षा एजेन्सी की सेवायें किसी भी समय संतोषजनक नहीं पायी गयी तो निदेशालय को यह अधिकार होगा कि सुरक्षा एजेन्सी की सेवायें एक सप्ताह के नोटिस पर बिना कोई कारण सूचित किये हुए ठेका को समाप्त किया जा सकता है तथा यह भी अधिकार होगा कि ठेका किसी अन्य एजेन्सी को दिया जा सकता है जिसका पूरा खर्च वर्तमान एजेन्सी को वहन करना होगा तथा खर्च की राशि ठेकेदार की जमानत राशि, लम्बित बिल या अलग से प्राप्त बिल से वसूल की जायेगी। इस सम्बन्ध में इस निदेशालय के दिन प्रतिदिन के कार्यो के सफल संचालन में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न होने पर निदेशक महोदय को यह भी अधिकार होगा कि वे अवधि से पूर्व भी इस अनुबन्ध को समाप्त कर दें तथा जमानत राशि भी जब्त करले ।

27. पूर्ण रूप से भरी हुई ई–निविदा को scan कर e-procurement website पर Upload करें।

28. **धरोहर राशि रू0 30,000/–** जो कि भारतीय स्टेट बैंक पर जारी डिमाण्ड ड्राफट या बैंकर्स चैक (ICAR UNIT DRMR, **भरतपुर** के नाम से देय हो) सहित निविदा खुलने की तिथी से पहले तक डॉक द्वारा जमा कराया जाना आवश्यक होगा ।

29. केवल ई–निविदा ही मान्य होंगी। डाक या किसी अन्य माध्यम से प्राप्त हुई निविदा मान्य नहीं होगी।

30. सुरक्षा एजेन्सी की लापरवाही से उसके द्वारा नियुक्त सुरक्षा कर्मी को यदि कोई क्षति/हानि होगी तो उन सभी दावों, हानि की क्षतिपूर्ति सुरक्षा एजेन्सी को ही करनी होगी ।

Scanned by CamScanner

31. सुरक्षा एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराये गये सुरक्षा कर्मियों का इस निदेशालय से कोई नियोक्ता व कर्मचारी का रिश्ता नही होगा ।

32. सुरक्षा कार्य इस निदेशालय द्वारा नियुक्त सक्षम अधिकारी की देखरेख में करना होगा ।

33. निदेशालय के बाहर कोई भी वाहन, वस्तु, बिना गेट पास के नही जायेगी । इस स्थिति मे सुरक्षा गार्ड को सम्बन्धित व्यक्ति/अधिकारी/कर्मचारी से गेट पास प्राप्त कर ही बाहर जाना होगा ।

34. निदेशक स0 अनु0 निदेशालय, भरतपुर को यह भी अधिकार होगा कि वे किसी भी एक ई–निविदा अथवा समस्त ई–निविदाओं को बिना कोई कारण बताये रद्व कर सकते है तथा उसके लिये किसी भी निविदादाता के प्रति निदेशक की कोई जवाबदेही भी नही होगी ।

35. निदेशक स0 अनु0 निदेशालय, भरतपुर को यह भी अधिकार होगा कि वे न्यूनतम दर वाली ई–निविदा को स्वीकार करने के लिये बाध्य नही होगे तथा उसके लिये किसी भी निविदादाता के प्रति निदेशालय के निदेशक की किसी तरह की कोई जवाबदेही भी नही होगी ।

36. ई.एस.आई. एवं ई.पी.एफ. की छूट के लिये आवश्यक प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें ।

37. सम्बन्धित सुरक्षा ऐजेन्सी आर्थिक रूप से सुदृढ होनी चाहिए ।

38. उपरोक्त शर्तो के बावजूद निम्नलिखित आकस्मिक स्थितियों में निदेशालय सम्बन्धित समझौतें को समाप्त भी कर सकता है ।

39. **क)** यदि सुरक्षा एजेन्सी अपना कार्य निदेशालय की संतुष्टि के अनुसार नहीं कर रही है, जिसका निर्णय केवल निदेशालय द्वारा ही किया जायेगा ।

ख) यदि सुरक्षा एजेन्सी निदेशालय के परिसर मे पदस्थ सुरक्षा कर्मियो के प्रति वैधानिक दायित्वो का पूर्णतया पालन नहीं करती है ।

ग) यदि किसी भी कारण से सुरक्षा एजेन्सी लगातार 10 दिन अथवा उससे ज्यादा दिन तक इस समझौते के अंतगर्त कार्य करने में असमर्थ हो ।

घ) यदि सुरक्षा एजेन्सी इस समझौते के किसी अनुच्छेद का उल्लघंन कर रही हो ।

ड) यदि सुरक्षा एजेन्सी की ओर से काम की उपेक्षा या दुव्यर्वहार के फलस्वरूप निदेशालय द्वारा अपने अधिकारियों/कर्मचारियों, **ग्राहकों/आगन्तुको** को किसी तरह के नुकसान की भरपाई करने की जरूरत हो ।

च) यदि सुरक्षा एजेन्सी की समाप्ति के बाद उन्हें दिए गए उपकरण आदि वापस करने मे असमर्थ हो ।

छ) सुरक्षा एजेन्सी को रोज़गार एवं कल्याण अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत निजी सुरक्षा गार्ड एजेन्सी के रूप मे कार्य करने हेतु यदि भारत सरकार से स्वीकृति मिल जाती है तो वह निदेशालय को तुरन्त सूचित करेगी । सुरक्षा एजेन्सी संविदा श्रमिक (विनियम तथा उन्मूलन) अधिनियम 1970 की धारा 12 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी से लाइसेंस प्राप्त करेगी तथा किसी अन्य के अन्तर्गत उन्हें सम्बंधित प्राधिकरण से पंजीकृत भी करवाएगी । अनुबंध के कार्यान्वयन के दौरान सुरक्षा एजेन्सी को संविदा श्रमिक (आर एण्ड आर) अधिनियम 1970 के अनुच्छेद 12 के अन्तर्गत लाइसेस लेना होगा । इन अनुबंधो का अनुपालन न होने पर संविदा समाप्त हो जाएगी।

ज) निदेशालय को सुरक्षा निधि बोर्ड के अन्तर्गत कार्यालय संबंधी जबावदेही के लिये जिम्मेदार नहीं माना जा सकेगा । सुरक्षा एजेन्सी की यह पूरी जिम्मेदारी होगी कि वह सुरक्षा गार्ड बोर्ड के अधिकारियो को सन्तुष्ट रखे।

झ) किसी भी परिस्थिति में निदेशालय को जिम्मेदार नहीं माना जाएगा अथवा जो पारस्पारिक सहमति हुई थी उसके अलावा अतिरिक्त आर्थिक मामलों मे सम्बद्व न किया जाए ।

छ) <u>दण्ड प्रावधान</u>

Scanned by CamScanner

40. सुरक्षा पर्यवेक्षक तथा सुरक्षा गार्डों के पास ड्यूटी पर निर्धारित यूनिफार्म, टोपी, लाठी, टॉर्चलाइट, नामबैज, जूते, गन और परिचय पत्र आदि होने चाहिए ।

41. सामान्यता कोई भी सुरक्षा गार्ड लगातार दो शिफ्ट में दोहरी ड्यूटी नहीं करेगे । यदि कोई सुरक्षाकर्मी ड्यूटी से बिना सूचना अनुपस्थित पाया जाएगा तो बिल से मजदूरी की दुगुनी धनराशि वसूली जाएगी।

42. सुरक्षा गार्डो की ड्यूटी सूची प्रत्येक दिवस को इस कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए।

43. सुरक्षा का कार्यभार लेने से पूर्व सुरक्षा गार्डो के छायाचित्र सहित उनकी एक सूची कार्यालय रिकार्ड के लिए उपलब्ध करायी जावे जिसमें उनके स्थाई पते भी हो ।

44. ई–निविदा में (Annexure 1 to 8) तकनीकी विड तथा वित्तिय विड (BOQ upload) को अलग–अलग अपलोड करें । तकनीकी विड में वित्तीय विड (सर्विस चार्ज) का कोई उल्लेख (Part) नहीं होना चाहिए ।(संलग्न)

उपरोक्त वर्णित नियमों एवं शर्तो के अलावा यदि अन्य कोई नियम या शर्त आवश्यक समझी गयी तो उन्हें भी समय समय पर सूचित करते हुए लागू कर दिया जावेगा जो सम्बन्धित ठेकेदार पर बन्धनकारी होगी ।

भवदीय,

(रमेश चन्द्र मीणा)
वरि0 प्रशासनिक अधिकारी

Scanned by CamScanner

ठेके पर सुरक्षा व्यवस्था की नियम एवं शर्ते

1. सुरक्षा गार्ड स्वस्थ, वांछित शारीरिक गठन और पर्याप्त अनुभव वाले होने चाहिएं तथा इनका स्थान समय–समय पर बदलते रहना चाहिए ।
2. सुरक्षा गार्ड हिन्दी मे तथा यदि संभव हो तो अंग्रेजी भाषा मे बातचीत करने मे सक्षम होना चाहिए ।
3. गार्ड को प्रतिदिन एक पारी (शिफ्ट) की ड्यूटी करनी होगी, सामान्यतया दो पारियो में (डबल शिफ्ट) ड्यूटी करते की अनुमति नहीं होगी ।
4. गार्ड स0 अ0 निदेशालय के कर्मचारियो के साथ परस्पर सामाजिक संबंध विकसित नहीं करेंगें ।
5. गार्डो को वर्दी ,सीटी, टार्च, लाठी आदि सुरक्षा एजेन्सी द्वारा प्रदान की जाएगी ।
6. सुरक्षा गार्ड द्वारा ड्यूटी के समय स्वच्छ वर्दी पहननी होगी तथा पहचान–पत्र साथ रखना होगा ।
7. सुरक्षा गार्ड अपनी ड्यूटी का स्थान तब तक नहीं छोड़गें जब तक अगली पारी (शिफ्ट) की ड्यूटी के लिए उनका एवजी (रिलीवर) कार्य ग्रहण नहीं करता ।
8. निदेशालय के मुख्य द्वार और अन्य स्थानों पर रखें गए समस्त रजिस्टरों का रख–रखाव सुरक्षा पर्यवेक्षक (सुपरवाईजर) द्वारा किया जाएगा ।
9. वे सम्पूर्ण कार्यालय के सभी कमरों की शाम 5.30 बजे के बाद जांच करेंगें तथा यह सुनिश्चित करेंगे की समस्त भवन को उचित रूप से ताला बन्द कर दिया गया है ।
10. रात 10 बजें से सुबह 6 बजे तक रोटशन से परिसर मे सुरक्षा पर्यवेक्षक अवश्य ही गश्त ड्यूटी पर रहेंगे तथा गश्त ड्यूटी के दौरान ये पम्प हाउस सहित भवन के समस्त तालों की जाच करेंगें ।
11. ड्यूटी में इनके द्वारा कोई शिथिलता/ढीलापन या लापरवाही नहीं बरती जाए तथा इन्हें डयूटी पर सावधान और चौकन्ना रहना होगा ।
12. ये समस्त कार्मिकों, श्रमिकों तथा आगन्तुकों आदि की गतिविधियों की निगरानी करेंगें ।
13. आगन्तुक रजिस्टर मे इन्दराज किए बगैर ये किसी भी बाहरी व्यक्ति को वाहन के साथ कार्यालय के परिसर के अन्दर नहीं आने देंगें ।
14. पार्किगं के लिए निर्धारित स्थान पर ही समस्त वाहनों को पार्क कराया जावेगा । सुरक्षा गार्ड द्वारा परिसर मे अन्दर आने तथा बाहर जाने वाले वाहनों की जांच की जाएगी ।
15. निदेशालय के किसी भी कार्मिक को चाबी सौंपते समय तथा इन्हें ग्रहण करते समय उचित इन्द्रराज किए जावेंगे ।
16. सुरक्षा कार्मिक उपस्थिति का सख्ती से पालन करेंगें तथा जब कभी भी कोई सुरक्षा गार्ड अवकाश पर जाए तो इस कार्यालय को सूचित करते हुए वैकल्पिक इंतजाम किए जाए ।
17. सुरक्षा गार्डो की पदस्थापना में परिवर्तन होने पर तदाशय की सूचना सम्बन्धित अधिकारी को तत्परतापूर्वक देनी होगी ।
18. रात्रि के समय पहचाने गए स्थानों की गस्त हर घंटे करनी होगी ।
19. सुरक्षा कार्मिको को ड्यूटी के समय सुरक्षा प्रणाली को कोड संबंधी औपचारिकता का अनुसरण करना होगा।
20. सुरक्षा कार्मिको को यह सुनिश्चित करना होगा कि परिसर से बाहर ले जाई जाने वाली वस्तुओं का सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित गेट–पास जारी किया गया है । किसी भी प्रकार की शंका होने पर इन्हें शीघ्र सुरक्षा प्रभारी से सम्पर्क करना चाहिए ।
21. सुरक्षा गार्ड अग्निशमन के कार्यों के लिए प्रशिक्षित होने चाहिए।
22. कुछ अन्य नियम व शर्ते **ANNEXURE 2** पर अंकित हैं जिनका पूर्ण से पालन करना अनिवार्य होगा।

Scanned by CamScanner

The following terms and conditions are to be followed COMPULSORILY for the Security Contract Tender: -

1) The firm applying for the contract must charge minimum service charge of Rs. 1 per hundred rupees.
2) **SCOPE OF WORK**
   Providing round the clock security in DRMR Bharatpur campus.
   1.) Round the clock security at FOUR points (4x3=12) (24 hours) and
   2.) ONE gunman for night (1) during night hours (Night time only).
   i.e., 12+1 every day.
   Details given in terms and conditions above no. 8 (a.) to (e.)

3) **EVALUATION OF BIDS IN CASE OF A TIE: -**

In case of a tie or more than two L-1 or more than two firms providing same rate of service charge the following system will be followed for deciding the final bidder who may get to enter into the contract for providing security services at this directorate: -

(A.) Minimum employess 100 - 2 Marks (1 additional marks for every extra 20 employees upto maximum 10 Marks i.e., 2+8) from details in annexure 6.
(B.) ISO certificate – 10 Marks.
(C.) Turnover of the last 3 years' average: - For 2 crore- 2 Marks (An additional 1 mark for 1 extra crore upto maximum 10 marks. i.e.,2+8)
(D.) Existing contracts of security services with govt. department or PSUs or semi-govt. autonomous bodies at present on minimum value 50lakhs- 1 mark for each such contract upto maximum of 20 such contracts. Minimum value of contract 50 lakhs or above.
Total A+B+C+D = 10+10+10+20 = 50 Marks Total.

Note: - The above details A, B, C & D must be clearly mentioned in the technical bid in order to avoid any issues in the evaluation of bidders. In case of further tie after marking system the bid shall be awarded based on last year turnover.

4) **ECR-** ECR is a must for the service provider payment of PF, ESI and all other necessary contribution & deductions must be clearly mentioned.
5) **DBT-** Wages MUST be provided ONLY through **Direct benefit transfer in the benificiary account**. Any other mode of payment such as cash cheque etc. shall be deemed unacceptable.
6) **Monthly WAGES-SLIP** - Every contractual workers/labourer /SECURITY PERSON must be provided with detailed wages slip which shall contain a detailed description of all the necessary deductions and contributions and the final payment that he receives for each months.
7) **Wages Payment to the workers MUST be made in the 1st week of every month** in no case shall the payment be delayed by the contractor.

Scanned by CamScanner

8) **Any kind of descrepency in the Name Address and other personal information related to the worker shall be taken care of by the contractor himself** so that the workers can enjoy the benefits of EPF, ESI any other such contributions and wages TO THE FULLEST.

9) **The service provider should take care of any issues regarding the workers such as emergency, absenteeism etc at all times (24x7 round the clock).**

10) **Validity of the contract**: This contract will be valid for a period of 1 year initially and liable to be extended for further periods not more than one-year subject to the satisfactory services and on the same terms and conditions on mutual agreements.

11) **QUOTING OF RATES IN BOQ AND OTHER INSTRUCTIONS THEREOF MUST BE AS PER THE DETAILS PROVIDED BELOW: -**

The firm shall quote the TOTAL PAYMENT or CHARGE (exclusive of GST) for ONE DAY (24 hour) in the BOQ. This should include all charges i.e., Service charge and any other charges charged by the firm and all other incidental payments. This however should not include GST.

The charge should be for providing: -

1.) Round the clock security at FOUR points (4 x 3 shifts =12) for all the days of the monthAND

2.) ONE gunman for night (1x 1shift =1) during night hours for all the days of the month.

i.e., 12+1 every day.

In no case should the amount paid per day to any manpower/security staff be less than the minimum wages according to the Govt. rules.

Minimum wages are subject to revision from time to time by the Govt. In case of any such increase, the rates shall be revised immediately by the firm from the date from which the increased wages come into effect. So payments made by the firm to the manpower will increase.

However, this increase cannot be passed on to the Directorate in form of payments for the services provided by the firm. Payment that is to be made to the firm shall be a fixed amount that has been fixed at the beginning of the contract and will not be revised.

Therefore, the firm should quote the rates keeping in view all such contingencies involved that may arise in future. The payment made to the manpower will increase but the payment made by this directorate to the firm will remain fixed till the end of the contract period.

No changes can be made to this amount.

NOTE: -

Minimum wages are subject to revision from time to time by the Govt. In case of any such increase the rates shall be revised immediately by the firm from the date from which the increased wages come into effect. So payments made by the firm to the manpower will increase.

However, this increase cannot be passed on to the Directorate in form of payments for the services provided by the firm. ***Payment that is to be made to the firm BY THE DIRECTORATE shall be a fixed amount that has been fixed at the beginning of the contract and will not be revised under any circumstances whatsoever.***

Therefore, the firm should quote the rates keeping in view all such contingencies involved that may arise in future. The payment made to the manpower BY THE FIRM will increase but the payment made by this directorate TO THE FIRM will remain fixed till the end of the contract period. No changes can be made to this amount.

Scanned by CamScanner

UNDERTAKING FOR AGREEMENT TO CHARGE A FIXED RATE PER DAY THROUGHOUT THE CONTRACT PERIOD.

We fully understand that the Minimum wages are subject to revision from time to time by the Govt. We fully agree to the fact that in case of any such increase the rates shall be revised immediately by the firm from the date from which the increased wages come into effect. So payments made by the firm to the manpower will increase.

We also agree to the fact that the increase cannot be passed on to the Directorate in form of payments for the services provided by us the service provider/bidder firm.

We fully agree to the fact that the Payment which will be made to the firm BY THE DIRECTORATE shall be a fixed amount that has been fixed at the beginning of the contract and will not be revised under any circumstances whatsoever.

We also hereby declare that we have quoted the rates (esp. the service charge) keeping in view all such contingencies involved that may arise in future. We fully understand and agree that the payment made to the manpower BY THE FIRM will increase but the payment made by this directorate TO THE FIRM will remain fixed till the end of the contract period. No changes can be made to this amount.

SIGNATURE AND SEAL OF BIDDER

NAME AND FULL ADDRESS

Scanned by CamScanner

Annexure-4

तकनीकी बिड
(प्रपत्र–अ)
फर्म / ठेकेदार का विवरण

1. निविदादाता ठेकेदार / फर्म / एजेन्सी के प्रोप्राईटर का नाम : .....
2. निविदादाता ठेकेदार / फर्म / एजेन्सी का नाम व पता :
   मैसर्स.....
   .....
   .....
3.. (अ) टेलीफोन नं. कार्यालयः ..... निवासः .....मोबाइल नं.....
   (ब) ई. मेल पता : .....
7. ठेकेदार / फर्म / एजेन्सी का विवरण
8. : .....(साझेदारी डीड / संविधान यदि सोसाइटी है तो)
5. अधिकृत डीलरशीप / एजेन्सी का प्रमाणपत्र नम्बर : .....
6. आयकर विभाग द्वारा निर्गत पैन (PAN) नम्बर : .....
5. जीएसटी नम्बर : .....
8. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा निर्गत सर्विस टैक्स नम्बर : .....
9. फर्म / ठेकेदार के बैंक का नाम व पता : .....बैंक का आई.
   एफ.एस.सी. कोड नम्बर : .....बैंक खाता नम्बर : .....
10. धरोहर राशि (Earnest Money Deposit) रू. 30,000 / – ICAR Unit DRMR के पक्ष में Payable at Bharatpur डी.डी. / बैंकर चैक नं. .....दिनांक .....बैंक का नाम .....
11. ई–निविदा प्रपत्र को बिना कांट–छांट के साफ–सुथरा भर कर मोहर सहित हस्ताक्षर सहित स्कैन कर ई–निविदा वैबसाईट <u>httpp//:eprocure.gov.in</u> में उल्लेखित समय अवधि के भीतर अपलोड करें।
12. विस्तृत जानकारी हेतु देंखें डी.आर.एम.आर. वेबसाइट : <u>httpp//:eprocure.gov.in</u>

Signature of tenderer with seal

Scanned by CamScanner

TECHNICAL BID
CHECKLIST OF DOCUMENTS SUBMITTED

S. No.	Documents to be submitted	Whether Submitted or not	If submitted than mentioned page no.	Remarks
1.	Details of EMD deposited for Rs 30,000/-			
2.	Copy of Registration of firms			
3.	Copy of Registration Certificate of ESI			
4.	Copy of Registration Certificate of EPF			
5.	Copy of Service Tax Registration			
6.	Copy of PAN/TAN Card			
7.	Copy of Labour licence under contract labour (R&A) Act,1970/CL(R&A) central rules. The contractor shall obtain the labour licence under this act.(If applicable)			
8.	Experience Certificate for at least 3 years (list of clients.) Services in central Govt./State Govt.			
9.	Copy of Income Tax Return for last 3 years			
10.	Audited statement from Chartered Accountant for last 2 years			
11.	Latest ESI/EPF Challan for ascertaining the number of workers has to be attached.			
12.	Minimum turnover of the firm not less than Rs. 50.00 Lakh in each of the last 2 years.			
13.	Rate quoted complies with the Minimum Wages Act. Of Govt. of India (Central Govt./State Govt.) which ever is with all other statutory provisions			
14.	A Certificate under private Security Agency regulation Act, 2005			
15.	Attached completely filled & duly singned & stamped all Annexures 1 to 8			

Scanned by CamScanner

Detail of the last 3 years Security services experience/work done with name of clients

S. No.	Name of Client Deptt./Organisation & Name of Contact person with Ph. No. (Govt. or PSU or Semi Govt./Autonomous bodies)	Period		Total No. of security staff armed/unarmed etc. per day at site	Detailed description of work & No of security staff involved	Experience proof must be attached Yes/no
		From	To			
1.						
2.						
3.						

Total number of security staff employed/hired by the agency for the last one year continuously and are at the rolls currently = ... (Attached list of employees with their EPF & ESI details).

We declare that the above information is true and correct and we have attached experience certificate for each of the items above. The above details do not have details of any other manpower services and contains the details of security staff providing security services only.

Signature with Seal of authorized signatory of firm

Full Name of Bidder with Address & Date

_____

_____

_____

_____

Scanned by CamScanner

Undertaking

I, _____
Son/Daughter/Wife/of Sh._____ Proprietor/Director / authorized signatory of the Company/Firm_____, is competent to sign this declaration and execute this tender document.

I have carefully read and understood all the terms and conditions of the tender and undertake to abide to them.

The information/documents furnished along with the above tender form are true and authentic to the best of my knowledge and belief. I am well aware of the fact that furnishing of any false information fabricated document would lead to rejection of my tender at any stage besides liabilities towards prosecution under appropriate law.

Place:
Date:

Signature & Name of the authorized Singatory with Seal of the Firm

Scanned by CamScanner

BREAK-UP OF PAYMENTS FOR PROVIDING SECURITY SERVICES ON OUR PREMISES FOR ONE DAY

Price – bid should be uploaded only in BOQ.No percentage shall be mentioned in the bid anywhere or else the bid shall not be accepted. Service charge should not be disclosed below or the bid will be cancelled.

S. N	Description	Guards without arm	Guards with arm
1.	Minimum wages per person per day	Rs.	Rs.
5.	EPF (As per Govt. of India rule) in Rs. per person per day	Rs.	Rs.
6.	ESI (As per Govt. of India rule) in Rs. per person per day	Rs.	Rs.
7.	Sub Total	Rs.	Rs.
8.	Service charge of the agency per person per day	Rs. A (Don't mention it here, it should be included in total in BOQ)	Rs. B(Don't mention it here, it should be included in total in BOQ)
9.	Total per person per day without GST and service charge	Rs.	Rs.
10	Total no of guards in 1 day =	x12	x01
11	Total billing of 12 unarmed and 1 armed PER DAY **without** GST and **without** Service charge	Rs.	Rs.

ILLUSTRATION OF PER DAY WAGES: -
Suppose MINIMUM WAGES per person per day is Rs 569/-.
MINIMUM SERVICE CHARGE per person per day should not be less than Rs.1 per Rs.100. (i.e., Rs. 5.69/-)

EPF 74/-
ESI 27/-

The payment made by the directorate to the firm will be fixed payment calculated on per day basis but payable once monthly.
The contract shall be valid for 1 Year. The payment shall be made monthly as per no. of days in a month.
The contract may be extended on similar terms and conditions for 3 months at a time for a maximum of one-year subject to satisfactory services and approval by the competent authority. The Director reserves the right to terminate the contract unilaterally at any point of time without citing any reasons whatsoever.

I/we agree to the forfeiture of the earnest money deposited by me/us in connection with this tender if I/we fail to comply with any of the terms & conditions in whole or in part as laid down in the quotation form. We have carefully read the terms and conditions of the tender and agree to abide by these in letter and spirit.

Name & address of the firm.

Signature with seal of authorized signatory of the firm

Scanned by CamScanner